

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र.खण्डपीठ रीवा जिला रीवा (म.प्र.)



R5219 III 16

Rs. 30/-

- सनत कुमार सिंह तनय नागेश्वर सिंह
 - रणबहादुर सिंह तनय नागेश्वर सिंह
- निवासी ग्राम हडवडो तहसील गोपदबनास थाना सीधी जिला सीधी (म.प्र.)—आवेदक
बनाम

- रामगोपाल पिता गुलाब राम निवासी ग्राम हडवडो तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)
- केशव प्रसाद तनय मंगलराम
- अशोक कुमार तनय मंगलराम
- मु.लल्ला बेवा लल्लाराम
- दुर्गा प्रसाद पिता जगदीश राम

सभी निवासी ग्राम हडवडो तहसील गोपदबनास थाना सीधी जिला सीधी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

श्री. रावेन्द्र सिंह द्वारा आज दिनांक 12-5-16 प्रस्तुत किया गया।
सिद्ध
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला सीधी
प्रकरण क्रमांक 151/निगरानी/201-12 आदेश दिनांक
29.04.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :-

1. यह कि ग्राम हडवडो की भूमि खसरा नम्बर 41/0.03, 43/0.010, 52/0.020, पूर्व में नागेश्वर सिंह तनय रविन्दन सिंह के पट्टे कब्जे की भूमियां थी लेकिन इन भूमियों का नामांतरण भूलवस गुलाबराम, मंगलराम, एवं लल्ला राम, जगदीश प्रसाद, के नाम अधिकार अभिलेख, के रिकार्ड पर दर्ज कर दिया गया था। बंदोवस्त की कार्यवाही के दौरान सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष नागेश्वर सिंह द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उपरोक्त भूमियां उनके पट्टे कब्जे दखल की है लेकिन भूल बस यह भूमियां गुलाब राम, मंगलराम और लल्ला राम के नाम दर्ज कर दी गई है। नामांतरण पंजी क्रमांक

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

246

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5219-II/16

जिला-सीधी

सनत कुमार/रामगोपाल वगैरः

(1)	(2)
19.12.18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रावेन्द्र सिंह शिकरवार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 151/निगरानी/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>